POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 11

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ! आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि कट्स इंटरनेशनल द्वारा जयपुर स्थित जगतपुरा क्षेत्र में कट्स इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी सेन्टर (सिप्पोलक) स्थापित किया जाएगा। करीब 5 हजार स्क्वॉयर मीटर में बनने वाला यह सेन्टर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञताओं से परिपूर्ण एक राष्ट्रीय केन्द्र होगा।

उम्मीद की जा रही है कि केन्द्र का पूर्णरूप से सुसज्जित भवन वर्ष 2016 के अन्त तक तैयार हो जाएगा। प्रस्तावित केन्द्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय, प्रदर्शनी स्थल, संगोष्ठी कक्ष, सभागार, पुस्तकालय, व्यापार कक्ष, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र, तरणताल, अतिथि कमरें तथा भोजनालय की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

केन्द्र की गतिविधियों का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया जा चुका है। पिछले दिनों भारत सरकार के योजना आयोग के सुधार व नवीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर शोध किया गया और सम्मेलनों की अगुवाई करते हुए केन्द्र सरकार को तत्सम्बन्धित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

निकट भविष्य में यह केन्द्र प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता क्षेत्र, विदेशी सम्बन्ध, और शिक्षा प्रणाली में सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य और नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। वर्तमान में सिप्पोलक की सदस्यता के लिए प्रक्रिया जारी है।

सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत तो सात साल की कैद

देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें से करीब एक लाख चालीस हजार लोग मौत के शिकार बन जाते हैं। मद्देनजर केंद्र सरकार यातायात के नियमों को सख्त करने जा रही है। इसके लिए 'सड़क सुरक्षा एवं यातायात विधेयक 2014' का मसौदा तैयार किया गया है। सरकार ने इस पर प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के कुछ मुख्य प्रावधान निम्नांकित है:

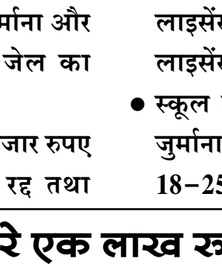

- मसौदे के मुताबिक 'मोटर व्हीकल रेग्यूलेशन एंड रोड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' नाम की स्वतंत्र एजेंसी भी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को भी सिंगल विंडो किया जाएगा।
- विधेयक में सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत पर तीन लाख रुपए का जुर्माना और कम से कम सात साल की जेल का प्रावधान किया गया है।
- सिग्नल तीन बार तोड़ने पर 15 हजार रुपए जुर्माना, एक माह लाइसेंस रद्द तथा ड्राइविंग का दोबारा अनिवार्य प्रशिक्षण। लापरवाही भरी ड्राइविंग पर एक लाख रुपए तक जुर्माना व छह माह से एक साल तक की कैद और लाइसेंस रद्द।
- नशे में ड्राइविंग करते पहली बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना या चार माह की कैद या दोनों एवं छह माह तक लाइसेंस निलंबित। दोबारा पकड़ा गया तो लाइसेंस रद्द, 30 दिन तक वाहन जब्त।
- स्कूल बस ड्राइवर होने पर 50 हजार रुपए जुर्माना, तीन साल की जेल। ड्राइवर की उम्र 18-25 साल तो तुरंत लाइसेंस रद्द।

रेलवे अदा करे एक लाख रुपए का हर्जाना

वरिष्ठ नागरिक राजमल जैन व पांच अन्य यात्रियों ने उत्तर-पश्चिम रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने 24 दिसम्बर 2010 को उम्मेद शिखरजी जाने के लिए 28 अक्टूबर को जयपुर से पार्श्वनाथ तक का ई-टिकट बुक कराया था। विभाग ने टिकट को आरएसी श्रेणी में रखा था। टीटीए ने उन्हें आश्वासन दिया कि यात्रा के लिए उन्हें पूरी सीट दी जाएगी। परिवाद में यह भी कहा गया कि यात्रा के दिन टीटीए ने मनमानी करते हुए दूसरे नये यात्रियों को बर्थ मुहैया करा रहा था, जबकि उन्हें बर्थ नहीं दी गई। इससे उन्हें 1150 किलोमीटर की यात्रा को बैठे-बैठे ही पूरा करना पड़ा, इससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया।

मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता मंच ने यात्रियों को आश्वासन देने के बाद भी पूरी सीट मुहैया नहीं कराने को सेवा दोष माना और उत्तर-पश्चिम रेलवे पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके अलावा मंच ने ग्यारह हजार रुपए की अतिरिक्त राशि परिवाद व्यय के तौर पर अदा करने को कहा है। मंच ने रेलवे को यह भी आदेश दिए है कि इस राशि की वसूली संबंधित टीटीए से की जाए।

'नई रोशनी' परियोजना से महिलाएं होंगी सशक्त

गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ कर उन्हें सशक्त एवं जागरूक बनाया जाना आवश्यक है। इससे महिलाएं विभिन्न बंधनों से मुक्त हो स्वयं के तथा समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

यह विचार भीलवाड़ा जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर गिरीराज वर्मा ने कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के सहयोग से संचालित 'नई रोशनी अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास' परियोजना के शुभारंभ बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उमरदराज पठान ने जिले में महिलाओं की स्थिति एवं बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और महिलाओं ने भाग लिया। परियोजना के तहत भीलवाड़ा जिले के पांच क्षेत्रों की 125 अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें गृह प्रबंधन, महिला अधिकारों, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, जीवन कौशल जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा उनके हितों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

नरेगा के दोषी अब बच नहीं सकेंगे

सोशल ऑडिट में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों का बच जाना विभाग के लिए लम्बे समय से मुसीबत बना हुआ था। अब नरेगा विभाग द्वारा निदेशालय को स्वतंत्र संगठन के रूप में मान्यता देकर पॉवरफुल बना दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार के मामलों की जल्दी और निष्पक्ष जांच हो सकेगी।

स्वतंत्र संगठन के रूप में शक्तियां बढ़ाते हुए निदेशालय को यह भी अधिकार दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यों के लिए किसी भी पंचायत, लाइन विभाग और अन्य क्रियान्वयन अभिकरण की कभी भी विशेष जांच कराई जा सकती है। अब किसी भी भ्रष्टाचार की जांच के मामले में प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि दखल नहीं दे सकेंगे।

अब गांवों से मिटेगा जल संकट

नरेगा और जल संसाधन विभाग हर ग्राम पंचायत में सिंचाई, खेती और पेयजल के लिए पानी उपलब्धता की मुहिम में जुट गए हैं। दोनों महकमों के संयुक्त प्लान को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मॉनिटरिंग करेगा और क्रियान्वयन ऐजेंसी जल संसाधन विभाग होगा।

इस काम को समयबद्ध पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार भी आर्थिक मदद देगी। इस संयुक्त अभियान का मूल मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जल संरक्षण, शुद्ध पेयजल, सिंचाई के लिए पानी और किसानों की आजीविका में बढ़ोतरी करना है। जल संसाधन विभाग के साथ संयुक्त कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विद्युत सेवाओं में दोष तो मिलेगा हर्जाना

हाई वोल्टेज से बिजली उपकरण फूंके या घोषित समय से अधिक कटौती हो या फिर आपूर्ति बाधित हो तो इसे प्रदेश की बिजली कंपनियों का सेवा दोष माना जाएगा। प्रदेश की बिजली कंपनियों को इसके लिए उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने स्टेण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस (एसओपी) में हर्जाना देने को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। अब उपभोक्ता इस प्रावधान के हिसाब से बिजली कंपनियों पर सेवादोष की स्थिति में दावा पेश कर सकेंगे। आयोग ने बिजली से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के निस्तारण के लिए भी समयबद्ध रूपरेखा जारी की हैं।

सहरिया-कथोडी परिवारों को मुफ्त गेहूं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बारां जिले के सहरिया जनजाति एवं उदयपुर जिले के कथोडी जनजाति परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं।

प्रमुख शासन सचिव (खाद्य) सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से लागू किए गए इन आदेशों से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी।

बनेंगे ग्रामीण गौरव पथ

राज्य सरकार प्रदेश के सभी 9177 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में मॉडल सड़क बनाने की योजना का पहला चरण इसी महीने शुरू करने जा रही है। पहले चरण में 3000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में यह सड़कें बिछाई जाएंगी। पहले चरण के लिए गांवों की पहचान कर ली गई है।

यह सड़कें सीमेंट व कंक्रीट (सीसी रोड) से बनाई जाएंगी, ताकि बरसात के सीजन में यह खराब नहीं हों। इन सड़कों के दोनों ओर जमीन की उपलब्धता के आधार पर खरंजा लगाया जाएगा तथा नालियां भी बनाई जाएंगी, ताकि बरसाती पानी इनमें से बह जाए।

अपने गांव पर हो गर्व-प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यदि 800 सांसद 2019 तक अपने क्षेत्र के तीन-तीन गांवों का विकास करेंगे तो 2500 गांवों का विकास हो जाएगा। सांसदों को गांव चुनने की आजादी है, लेकिन वह गांव उनका खुद का या पत्नी का नहीं होना चाहिए। गांवों का विकास जनभागीदारी से भी होना चाहिए।

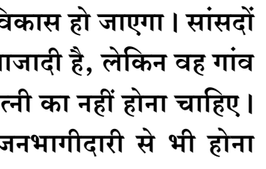

उन्होंने कहा सांसद गांव को तीर्थ की तरह बनाएं, विधायक भी अपने क्षेत्र में आदर्श गांव बनाएं। वह खुद भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गांव गोद लेंगे।

भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं

सितम्बर के ग्राम गदर में 'भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं' पढ़ा। आज देश में चारों ओर भ्रष्टाचार, अपराध, अश्लीलता और धोखे-बाजी का साम्राज्य फैलता जा रहा है। अच्छे आचरण, ईमानदारी, और परोपकार की भावना लोगों में समाप्त होती जा रही है। यह समाज और राष्ट्र के लिए घातक है।

जनता द्वारा विश्वास कर चुने गए कई जनप्रतिनिधि भी अपने धर्म से विमुख होकर स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इनके संरक्षण में कई अपराधी और भ्रष्टाचारी पनपते हैं। कई राज्यों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए बने 'सूचना का अधिकार अधिनियम' जैसे कानूनों की धार को भी कमजोर किया जा रहा है। -निहाल चन्द जैन, ब्यावर

हर गांव को मिलेंगे 20 लाख रुपए

केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नितिन गडगरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार हर गांव को साफ-सफाई के लिए हर साल 20 लाख रुपए देगी। वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने के लिए गांवों को यह अतिरिक्त सहयोग दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले पांच साल में देश में करीब 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस पर एक लाख 34 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

खेती बन रही है घाटे का सौदा

राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि नारे लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। 'गरीबी हटाओं' के नारे पर चुनाव जीते गए लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हटने से गरीबी स्वयं ही दूर हो जाएगी। हाथ खाली है तो जेब भी खाली ही रह जाएगी।

उन्होंने किसानों की हालत बयां करते हुए कहा कि किसान की लागत इतनी ज्यादा होती है कि खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई है। आज किसान का बेटा खेती किसानी करना नहीं चाहता बल्कि 150 रुपए में मजदूरी करने को तैयार है। इस स्थिति में बदलाव लाने की जरूरत है।

सरकार संभालेगी जच्चा-बच्चा

प्रदेश में अब नवजात और प्रसूताओं की देशभाल राज्य सरकार करेगी। इसमें सरकार आशा सहयोगिनियों की मदद लेगी, जो एक साल तक हर तीन माह में प्रसूताओं के घर जाकर सार-संभार करेगी।

इस अवधि में शिशु के बीमार होने पर उसे अस्पताल भी ले जाएगी। वें शिशुओं और प्रसूताओं की जांच के साथ ही परिजनों को उनकी देखभाल के तौर-तरीके भी बताएगी। वर्तमान में यह योजना भरतपुर, अलवर और दौसा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

CUTS International 1983 2012

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर